राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.18(13)नविवि/जयपुर/2016 जयपुर, दिनांक 18 OCT 2017

आदेश

जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास समस्त एवं राज्य के समस्त नगरीय निकायों में भवन विनियमों की एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से, "एकीकृत भवन विनियम–2017" तैयार किये जाकर सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास समस्त एवं राज्य के समस्त स्थानीय निकायों हेतु दिनांक 18.10.2017 को अधिसूचित किये गये हैं। यदि आवश्यक हो तो संबंधित नगरीय निकायों के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अपने स्तर पर विशिष्ठ प्रावधान निर्धारित किये जा सकते हैं :–

1. विनियम 5.2 के अनुसार एस–2 क्षेत्र अर्थात चार दिवारी क्षेत्र यदि कोई हो तो चिन्हित करते हुये कार्यवाही की जा सकती है।
2. विनियम 5.3 (1) के अनुसार परम्परागत रूप से गैर योजनागत विकसित सघन आबादी क्षेत्र, कच्ची बस्ती क्षेत्र को चिन्हित करते हुये कार्यवाही की जा सकती है।
3. विनियम 8.4 विशिष्ठ क्षेत्रों यथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों व निषेध क्षेत्रों, पुरातात्विक महत्व के संरक्षित स्थलों आदि की पहचान कर विशेष प्रावधान किये जा सकते हैं।
4. विनियम 8.5 के अनुसार विशिष्ठ सड़कों का निर्धारण कर, विशिष्ठ मानदण्ड़ निर्धारित किये जा सकते हैं।

एकीकृत भवन विनियम–2017 की सॉफ्ट कॉपी विभागीय वेबसाईट (www.udh.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है, जहाँ से इसे डाउनलोड़ किया जाकर उक्त विनियमों के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावे।

18/10/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, रीको, उद्योग भवन, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सभी स्थानीय निकायों को उक्त विनियमों के अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का श्रम करे।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. सलाहकार (नगर नियोजन), नगरीय विकास विभाग।
11. सलाहकार (विधि), नगरीय विकास विभाग।
12. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त ....।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम